न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : 99/2014

GCMS No. : 2014/00118

–:: वादीगण ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

वादीगण

1. पारसराम पुत्र मोहन
2. श्यामलाल पुत्र मदनलाल
3. बिदामी बेवा मदनलाल

जातियान– हरिजन
निवासीगण– बलून्दा
तह–जैतारण जिला–पाली
राज0।

प्रतिवादीगण

1. छैला के कायम मुकाम
   - 1/1. पुखराज पुत्र छैलाजी
   - 1/2. शिवराज पुत्र छैलाजी
   - 1/3. पांचाराम पुत्र छैलाजी
   - 1/4. प्रहलादराम पुत्र छैलाजी
   - 1/5. भंवरीदेवी पुत्री छैलाजी
   - 1/6. जानकीदेवी पुत्री छैलाजी
   - 1/7. पिस्ता पुत्र छैलाजी
   - 1/8. सुशीला पुत्री छैलाजी
   - 1/9. पप्पुदेवी पुत्री छैलाजी
   - 1/10. माड़ी देवी बेवा छैलाजी
2. नरसिंह पुत्र जुगा के कायम मुकाम
   - 2/1. नारायण पुत्र नरसिंह
   - 2/2. श्रीकिशन पुत्र नरसिंह
   - 2/3. श्रवणकुमार पुत्र नरसिंह
   - 2/4. तारादेवी पुत्री नरसिंह
   - 2/5. कंचन पुत्र नरसिंह
   - 2/6. इन्द्रा पुत्री नरसिंह
   - 2/7. संतोष पुत्री नरसिंह
3. बंशीलाल पुत्र जुगाराम
4. श्रीकिशन पुत्र जुगाराम
5. नेमीचंद पुत्र मदनलाल
6. जवरीलाल पुत्र मदनलाल
7. बींजा पुत्र मगाजी
8. घीसा पुत्र देवा
9. सीता पत्नी मदनलाल
10. अशोक कुमार पुत्र मदनलाल
11. मंजू पुत्री मदनलाल
12. सरोज पुत्री मदनलाल
13. सीता पुत्री मदनलाल
14. रेखा पुत्री मदनलाल
15. लीला पुत्री मदनलाल
16. बनारसी पुत्री गुदड़ के कायम [illegible]
   - 16/1. [illegible] पुत्री गुदड़
   - 16/2. [illegible]लाल पुत्र गुदड़
   - 16/3. नौरत पुत्र गुदड़
   - 16/4. पिस्ता पुत्री गुदड़
   - 16/5. सोडा पुत्री गुदड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

16/6. कंचन पुत्री गुदड़
16/7. रूकमा पुत्री गुदड़
16/8. बाया पुत्री गुदड़
16/9. नेमली पुत्री गुदड़
17. रतना पुत्र लोहिया
18. टीनू पुत्र लोहिया।
19. कृगला पुत्र लोहिया।
20. उंकार पुत्र गुदड़ के कायम मुकाम
20/1. सोनाराम पुत्र उंकार
20/2. कमला पुत्री उंकार
20/3. सपुड़ी पुत्री उंकार
20/4. सुमित्रा पुत्री उंकार
20/5. सुशिला पुत्री उंकार
20/6. राजी पुत्री उंकार
20/7. इन्द्रा पुत्री उंकार
20/8. दरियाव पुत्री उंकार
20/9. मैना पुत्री उंकार
20/10. भंवरीदेवी बेवा उंकार
21. भगवानदास पुत्र गुदड़
22. मांगीलाल पुत्र गुदड़
जातियान– हरिजन, निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला–पाली राज0।
23. तहसीलदार लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार, तहसील– जैतारण जिला– पाली।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.20.05.2014

उपस्थितः–
1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 30/09/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1394 रकबा 08–11 बीघा, खसरा नम्बर 1395 रकबा 03–00 बीघा, खसरा नम्बर 1396 रकबा 05–01 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 16–12 बीघा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की स्थित है। वादीगण का उक्त कृषि भूमि में ... हिस्सा है। जो जमाबंदी संवत् 2065–2068 में दर्ज है। प्रतिवादीगण का हिस्सा भी जमाबन्दी के अनुसार ही है। नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 ... कृषि भूमि को वादपत्र में आगे विवादित कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट से आज तक मौके पर पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की रही है और पक्षकारान मना–गना अपने अपने हिस्सेनुसार काश्त करते है और काबिज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उक्त कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस् के पक्षकारान् के मध्य तकासमा माफिक कानून नहीं हुआ है। जिसके प्रमाण में नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है। उक्त विवादित कृषि भूमि पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि है। वर्तमान में जमीनों की कीमतें बढ़ जानें से प्रतिवादीगण संख्या एक से छ की नियत में फरक आ गया है और मौके पर उक्त विवादित कृषि भूमि को बिना बंटवाड़ा के ही मौके पर नीवें खोदकर कृषि भूमि को अकृषि कार्य में निर्माण कर परिवर्तन करनें पर आमदा है। किसी भी खातेदार को कानून के अनुसार कृषि भूमि को कृषि कार्य हेतु ही उपयोग का अधिकार है और उक्त वादीगण के हक हिस्से अधिकार को भी मना वादीगण के हिस्से पर भी उक्त प्रकार से प्रतिवादीगण निर्माण कार्य कर वादीगण को हमेशा के लिये अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित करनें के लिये उतारु है। वादीगण सरकारी मुलाजिम हैं। वादी श्यामलाल वर्तमान में भारतीय रेलवें में सेवारत है तथा पारसराम बाड़मेर में सेवारत है। जो समय- समय पर उक्त कृषि भूमि में काश्त करनें या करवानें के लिये आते जाते रहते है। वर्तमान में जमीनों की कीमते बढ़ जानें से प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से अधिकार की कृषि भूमि को जोर जबरदस्ती से हड़पना चाहते हैं और हिस्से की जमीन पर कृषि भूमि को अकृषि कार्य में पक्का निर्माण कर बदलना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को ऐसा करनें से मना किया परन्तु प्रतिवादीगण नहीं मानें। इसके साथ ही वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि का माफिक कानून के बंटवाड़ा करानें का भी कहा पर प्रतिवादीगण बंटवाड़ा करानें को तैयार नहीं हुये। इसलिये वादीगण की ओर से यह वादपत्र तकास्मा आराजी का प्रतिवादीगण के खिलाफ सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण कृषि भूमि में बिना कृषि भूमि रूपान्तरकरण के और बिना बंटवाड़ा बाई मिट्स बाउण्डस् के कानून के खिलाफ पक्का निर्माण कार्य कर रहे है, जो खिलाफ कानून है प्रतिवादीगण की ऐसी हरकत के खिलाफ वादीगण की ओर से यह वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा दादरसी के लिये भी पेश है। प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि को बिना विधिक बंटवाड़ा के किसी अजनबी को उक्त कृषि भूमि का बैचान करनें पर अमादा है। प्रतिवादीगण को बिना विधिक बंटवाड़ा के बैचान का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रतिवादीगण का हिस्सा किस जगह आता है। यह तो न तय है और न मालूम पड़ सकता है। अजनबी क्रेता भी अविभाजित कृषि भूमि में कौनसा हिस्सा खरीदा तथा वह हिस्सा कहां स्थित है। उक्त कृषि भूमि अविभाजित होनें से तो तय हो सकता है और न मालूम पडत्र सकता है। अजनबी क्रेता मौके पर अच्छी से अच्छी जमीन पर काबिज होनें की कोशिश करेगा तब विविध मुकदमेबाजी होगी। जिससे पक्षकारान को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिये ऐसे बेचान या अन्य हस्तान्तरण के विरुद्ध प्रतिवादीगण के खिलाफ यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होनें से एवं बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार होनें से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 15.05.2014 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि में अकृषि कार्य करने व निर्माण करनें से मना करनें एवं उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स बाउण्डस् बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने से एवं उक्त अविभाजित कृषि भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये ही किसी अन्य अजनबी क्रेता को बैचान हस्तान्तरण करने की धमकी देनें पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होनें से उक्त वाद श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 एवं 1/10, 2/1 से 2/2, 3, 6 की ओर से वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 है। प्रतिवादी संख्या 1/5 से 1/9, 2/3 से 2/7, 4, 5, 7 से 15, 16/1 से 16/9, 17 से 19, 20/1 से 20/10, 21, 22 तामिली/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4 एवं 1/10, 2/1 से 2/2, 3, 6 की ओर से वकील प्रतिवादी ने No Instruction Plead करने से प्रतिवादीगण को बार बार आवाजें दिलाई जाने पर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय, शपथपत्र एवं दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1394 रकबा 08-11 बीघा, खसरा नम्बर 1395 रकबा 03-00 बीघा, खसरा नम्बर 1396 रकबा 05-01 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1298 दिनांक 04/12/2017 एवं पत्रांक/कोर्ट/2020/895 दिनांक 27/10/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/2308 दिनांक 19/07/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1394 रकबा 08-11 बीघा, खसरा नम्बर 1395 रकबा 03-00 बीघा, खसरा नम्बर 1396 रकबा 05-01 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
पारसमल पुत्र मोहन, श्यामलाल पुत्र मदनलाल, बिदामी पत्नी मदनलाल कौम हरिजन सा0 देह खातेदार	1394/1	2-15	बा0अ0	1.71
पुखराज, शिवराज, पांचाराम, प्रहलादराम पि0 छैला, भंवरीदेवी, जानकी देवी, पिस्तादेवी, सुशीलादेवी, पपुदेवी पुत्रीयां छैला, माडीदेवी पत्नी छैला, नारायणलाल, श्रवणकुमार पि0 नरसिंह, तारादेवी, इन्द्रादेवी, कंचन, संतोष पुत्रीयां नरसिंह, बंशी, श्रीकिशन पि0 जुगाराम, नेमीचन्द, जवरीलाल पि0 मदनलाल हि. 4/25, कौम हरिजन, सुगनाराम पुत्र बगदाराम कौम मेघवाल हि. 1/25, बींजाराम पुत्र मगा हि. 1/5, घीसा पुत्र देवा हि. 1/5, अशोक पुत्र मदनलाल, मंजू, सरोज, सीमा, रेखा, लीला पुत्रीयां मदनलाल, अशोककुमार पुत्र मदनलाल हि. 8/35, चम्पालाल, नोरत पि0 शोकिन, पिस्ता, सोढ़ा, कंचन, रूकमा बाया, पि0 शोकिन, नेमली पत्नी शोकिन, अशोक पुत्र मदनलाल, मंजू, सरोज, सीमा, रेखा, लीला पि0 मदनलाल, रूसी पुत्री गुदड़, हि. 1/35, रतन, टीलू, ढ़गला पि0 लोडिया हि. 1/35, सोनाराम पुत्र ऊंकार, कमला, सपूड़ी, सुमित्रा, राजी, इन्द्रा, सुशीला, दरियाव, मैना पि0 ऊंकार, भंवरीदेवी पत्नी ऊंकार हि. 1/35, चम्पालाल, नोरत पि0 शोकिन, नेमली पत्नी शोकिन हि. 1/35, भगवानदास पुत्र गुदड़ हि. 1/35, मांगीलाल पुत्र गुदड़ हि. 1/35 कौम हरिजन सा0 देह खातेदार	1394	3-00	बा0अ0	1.86
	1394/2	2-16	बा0अ0	1.73
	1395	3-00	बा0अ0	1.86
	1396	5-01	बा0अ0	3.13
	योग-4	13-17		

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादीगण ::- बनाम -:: प्रतिवादीगण ::-

वादीगण

1. पारसराम पुत्र मोहन
2. श्यामलाल पुत्र मदनलाल
3. बिदामी बेवा मदनलाल

जातियान- हरिजन
निवासीगण- बलून्दा
तह-जैतारण जिला-पाली
राज0।

प्रतिवादीगण

1. छैला के कायम मुकाम
   1/1. पुखराज पुत्र छैलाजी
   1/2. शिवराज पुत्र छैलाजी
   1/3. पांचाराम पुत्र छैलाजी
   1/4. प्रहलादराम पुत्र छैलाजी
   1/5. भंवरीदेवी पुत्री छैलाजी
   1/6. जानकीदेवी पुत्री छैलाजी
   1/7. पिस्ता पुत्र छैलाजी
   1/8. सुशीला पुत्री छैलाजी
   1/9. पप्पुदेवी पुत्री छैलाजी
   1/10. माड़ी देवी बेवा छैलाजी
2. नरसिंह पुत्र जुगा के कायम मुकाम
   2/1. नारायण पुत्र नरसिंह
   2/2. श्रीकिशन पुत्र नरसिंह
   2/3. श्रवणकुमार पुत्र नरसिंह
   2/4. तारादेवी पुत्री नरसिंह
   2/5. कंचन पुत्र नरसिंह
   2/6. इन्द्रा पुत्री नरसिंह
   2/7. संतोष पुत्री नरसिंह
3. बंशीलाल पुत्र जुगाराम
4. श्रीकिशन पुत्र जुगाराम
5. नेमीचंद पुत्र मदनलाल
6. जवरीलाल पुत्र मदनलाल
7. बींजा पुत्र मगाजी
8. घीसा पुत्र देवा
9. सीता पत्नी मदनलाल
10. अशोक कुमार पुत्र मदनलाल
11. मंजू पुत्री मदनलाल
12. सरोज पुत्री मदनलाल
13. सीता पुत्री मदनलाल
14. रेखा पुत्री मदनलाल
15. लीला पुत्री मदनलाल
16. बनारसी पुत्री गुदड़ के कायम मुकाम
   16/1. रूसी पुत्री गुदड़
   16/2. चम्पालाल पुत्र गुदड़
   16/3. नौरत पुत्र गुदड़
   16/4. [illegible]स्ता पुत्री गुदड़
   16/5. [illegible] पुत्री गुदड़
   16/6. [illegible] पुत्री गुदड़
   16/7. रुकमा पुत्री गुदड़
   16/8. बाया पुत्री गुदड़
   16/9. नेमली पुत्री गुदड़
17. रतना पुत्र लोडिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

18. टीनू पुत्र लोडिया
19. ढगला पुत्र लोडिया
20. उंकार पुत्र गुदड़ के कायम मुकाम
    20/1. सोनाराम पुत्र उंकार
    20/2. कमला पुत्री उंकार
    20/3. सपुड़ी पुत्री उंकार
    20/4. सुमित्रा पुत्री उंकार
    20/5. सुशिला पुत्री उंकार
    20/6. राजी पुत्री उंकार
    20/7. इन्द्रा पुत्री उंकार
    20/8. दरियाव पुत्री उंकार
    20/9. मैना पुत्री उंकार
    20/10. भंवरीदेवी बेवा उंकार
21. भगवानदास पुत्र गुदड़
22. मांगीलाल पुत्र गुदड़
    जातियान- हरिजन, निवासीगण- बलून्दा, तहसील- जैतारण, जिला-पाली राज0।
23. तहसीलदार लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार, तहसील- जैतारण जिला- पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 99/2014

व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई
ज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
स्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा र्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की देर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक । आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की तेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1394 रकबा 08-11 बीघा, खसरा म्बर 1395 रकबा 03-00 बीघा, खसरा नम्बर 1396 रकबा 05-01 बीघा भूमि में दीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित प से किया जाता हैं :-

़. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	पारसमल पुत्र मोहन, श्यामलाल पुत्र मदनलाल, बिदामी पत्नी मदनलाल कौम हरिजन सा0 देह खातेदार	1394/1	2-15	बा0अ0	1.71
2	पुखराज, शिवराज, पांच[illegible], प्रहलादराम पि0 छैला, भंव[illegible], जानकी देवी, पिस्तादेवी, सुशील[illegible], पपुदेवी पुत्रीयां छैला, माडीदेवी पत्नी छैला, नारायणलाल, श्रवणकुमार पि0 नरसिंह, तारादेवी, इन्द्रादेवी, कंचन, संतोष पुत्रीयां नरसिंह, बंशी, श्रीकिशन	[illegible]	[illegible]	बा0अ0	1.86
		1394/2	2-16	बा0अ0	1.73

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पि0 जुगाराम, नेमीचन्द, जवरीलाल पि0 मदनलाल हि. 4/25, कौम हरिजन, सुगनाराम पुत्र बगदाराम कौम मेघवाल हि. 1/25, बींजाराम पुत्र मगा हि. 1/5, घीसा पुत्र देवा हि. 1/5, अशोक पुत्र मदनलाल, मंजू, सरोज, सीमा, रेखा, लीला पुत्रीयां मदनलाल, अशोककुमार पुत्र मदनलाल हि. 8/35, चम्पालाल, नोरत पि0 शोकिन, पिस्ता, सोढ़ा, कंचन, रूकमा बाया, पि0 शोकिन, नेमली पत्नी शोकिन, अशोक पुत्र मदनलाल, मंजू, सरोज, सीमा, रेखा, लीला पि0 मदनलाल, रूसी पुत्री गुदड़, हि. 1/35, रतन, टीलू, ढ़गला पि0 लोडिया हि. 1/35, सोनाराम पुत्र ऊंकार, कमला, सपूड़ी, सुमित्रा, राजी, इन्द्रा, सुशीला, दरियाव, मैना पि0 ऊंकार, भंवरीदेवी पत्नी ऊंकार हि. 1/35, चम्पालाल, नोरत पि0 शोकिन, नेमली पत्नी शोकिन हि. 1/35, भगवानदास पुत्र गुदड़ हि. 1/35, मांगीलाल पुत्र गुदड़ हि. 1/35 कौम हरिजन सा0 देह खातेदार	1395	3-00	बा0अ0	1.86
	1396	5-01	बा0अ0	3.13
	योग-4	13-17		

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/09/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	04-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	08-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		
मिजानः-	17-00	मिजानः-	02-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)